न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम मुख्यालय बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

– 80/2016

उनवान

देबी पिता हजारी नाई नि. सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

..... प्रार्थी

बनाम

लादु पिता नन्दा भील नि. रेगरो का खेडा सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
गंगाराम पिता नन्दा भील नि. रेगरो का खेडा सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
नाना पिता आम्बा भील नि. रेगरो का खेडा सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 12.11.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन कि वाके ग्राम लाम्बियाखुर्द, पटवार मण्डल **लाम्बियाखुर्द** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी** दारी की भूमि खाता संख्या 250 के आराजी संख्या **2159/1941 रकबा 05–00 बीघा** दर्ज रिकॉर्ड है के कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की गढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रस्तुत वादपत्र इस लय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण ुद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। प्रार्थी पक्ष को सुना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त आदेश की चरण सं. 1 र्णित आराजियात का खातेदार का तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लाम्बियाखुर्द, पटवार मण्डल म्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी** खातेदारी की भूमि खाता संख्या 250 आराजी संख्या 9/1941 **रकबा 05–00 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बैंरा को **500/–** रूपये फीस पर कमिश्नर क्त किया जाता है। कमिश्नर फीस **प्रार्थी** द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से ा एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। मुस्तकीन बिन्दू आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ हसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर र से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम मुख्यालय बनेडा 12.11.2016 को खुले ालय में सुनाया गया।

(रामचन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी